

संख्या :- /1/2019-05/23/2004

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
ऊर्जा सैल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 3 अप्रैल, 2018

विषय :- ऊर्जा सैल में सृजित सहायक अभियन्ता (तकनीकी) पदों के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-25/निदे0ऊ0सै0/ऊ0सै0/ऊपीएमओ दि0-25-02-2019 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-900/1/2018-05/23/2004 दि0-03-08-2018 द्वारा ऊर्जा सैल में प्रतिनियुक्ति/आऊटसोर्सिंग/संविदा के आधार पर सृजित सहायक अभियन्ता (तकनीकी) के 02 अस्थायी पदों की निरन्तरता उक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दि0-28-02-2020 तक प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इससे पूर्व उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-451 (2)/1/2018-05/23/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल/विभागीय वेबसाईट।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।